बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

::कार्यालय आदेश::

का0आ0:–15/बि0स0से0–03–02/2014 सा0प्र0................................/पटना–15, दिनांक..................................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–157 दिनांक 19.04.2018 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापित स्नातक स्तरीय प्रथम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या–110/2010 की दिव्यांगों की संशोधित अनुशंसा (पत्रांक 934/आ0, दिनांक 23.03.2018) के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सहायक के पद पर बैड वेतन 9300–34800/– ग्रेड वेतन 4600/–(7वें वेतन आयोग के लेबल–7) में सशर्त्त औपबंधिक रूप से नियुक्त निम्नांकित सहायको को उनके नाम के सामने स्तम्भ–07 में अंकित तिथि से औपबंधिक योगदान स्वीकृत करते हुए स्तम्भ–08 में अंकित विभाग/संलग्न कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि	स्थायी पता	अनुक्रमांक	संशोधित मेधा कमांक	नियुक्ति आदेश सं0 157 दिनांक 19.04.2018 का क्रमांक	योगदान की तिथि	पदस्थापित विभाग/संलग्न कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती अनिता कुमारी, 23.07.1970	पति– डॉ0 मुरारी मोहन, मोहल्ला–लोहियानगर, पो0–सुहिर्द नगर, जिला–बेगूसराय, बिहार, पिन–851218	13830039	8052	07	03.05.2018	सामान्य प्रशासन विभाग प्रशाखा–23	
2	श्री अमित कुमार 20.12.1983	पिता–स्व0 बद्रीनाथ प्रसाद, द्वारा–श्री द्वारिका नाथ प्रसाद, किराना शॉप, पो0–हसन बाजार, जिला–भोजपुर, बिहार पिन–802204	11430044	6546	03	20.04.2018	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	

2. उपर्युक्त सभी नवनियुक्ति सहायकों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 30.05.2018 तक अपने पदस्थापन के विभाग में योगदान करें। उक्त समय सीमा के भीतर योगदान करने वाले सहायकों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–07 में अंकित योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा तीन माह तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा। उक्त निर्धारित समय सीमा के बाद योगदान देने वाले सहायकों को पदस्थापित किये गये विभाग में योगदान की तिथि से वेतन भुगतान होगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा नवनियुक्त कर्मियों के लिये दो प्रतियों में सेवा–पुस्त खोली जायेगी। नियुक्ति–पत्र की प्रति के साथ सेवा–पुस्त की एक प्रति संबंधित विभाग/कार्यालय को भेजी जायेगी। सेवा–पुस्त में नियुक्त कर्मी का एक अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चिपका रहेगा, जिसे जाँचोपरांत संतुष्ट होकर योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी तीन माह के लिये औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेगें और नियुक्ति पदाधिकारी से नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि करा लेगें। यदि तीन माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त सहायक के वेतनादि की निकासी तबतक नहीं की जाएगी जबतक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इनकी नियुक्ति–पत्र की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

4. संबंधित विभाग/कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त सहायकों का औपबंधिक रूप से योगदान उनसे सिविल सर्जन द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं तिलक–दहेज नहीं लेने देने से संबंधित

घोषणा–पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्वीकृत किया जाय तथा उक्त प्रमाण–पत्र एवं घोषणा–पत्र की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाय।

5. प्रथम वेतन–विपत्र के साथ नियुक्ति–पत्र की अभिप्रमाणित फोटोप्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति–पत्र से कर लेगें।

6. नवनियुक्त कर्मियों का नियुक्ति–पत्र राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंकों में प्रकाशित करने हेतु अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की एक प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना से भी नियुक्ति–पत्र की सत्यता की जाँच कर लेगें।

7. संबंधित विभाग या कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त नवनियुक्त सहायक जो पूर्व में अन्य विभागों में अन्य पदों पर कार्यरत थे, का सेवापुस्त एवं अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी सत्यता की जाँचोपरांत ही वेतन निकासी की कार्रवाई करेंगे।

8. नवनियुक्त कर्मियों का नयी अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी सेवा–निवृत्ति लेखा संख्या (PRAN NUMBER) अवश्य रूप से खोल लिया जाय।

9. नवनियुक्त कर्मियों का आयोग से प्राप्त अनुशंसा में तथा उनसे प्राप्त प्रमाण–पत्रों एवं पुलिस भेरिफिकेशन आदि में त्रुटि/फर्जी/गड़बड़ी भविष्य में पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी। तद्नुसार फलाफल से संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

10. नियुक्ति–पत्र की प्रकाशित राजपत्र की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भेजी जायेगी, जिससे कोषागार पदाधिकारी नियुक्ति–पत्र से मिलान कर संतुष्ट हो लेना चाहेगे।

11. नवनियुक्त कर्मियों को पदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/–
(बिजय कुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–03–02/2014 सा0प्र0................................/पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–03–02/2014 सा0प्र0................................/पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित नवनियुक्त सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। पत्र–निर्गत की तिथि से विरमित करते हुए उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब पदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान दें।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–03–02/2014 सा0प्र0................................/पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–03–02/2014 सा0प्र0................................./पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्रांक–934 दिनांक 23.03.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–03–02/2014 सा0प्र0 218 /पटना–15, दिनांक 29-5-18

प्रतिलिपिः–आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Srivastava 29.05.18

सरकार के अवर सचिव।